

आईआईटी की जमीन बाधा दूर करने के जतन

भोपाल । राज्य सरकार ने आईआईटी इंदौर के लिए जमीन संबंधी दिक्कतें दूर करने तथा आवश्यक पर्यावरणीय अनुमतियों के लिए केंद्र

सरकार से समन्वय तेज करने का फैसला किया है। इस सिलसिले में बुधवार को मुख्य सचिव अरवि वैश्य ने उच्चाधिकारियों की एक बैठक कर स्थिति की समीक्षा की।

बताया जाता है कि लगभग 98 एकड़ जमीन ऐसी है, जो वन भूमि के अंतर्गत आती है। इस पर गैर वानिकी कार्य (भवन निर्माण) आदि के लिए केंद्र के पर्यावरण और वन मंत्रालय से मंजूरी की दरकार है। बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि शासन स्तर पर इस संस्थान के लिए कोई भी कार्रवाई लंबित नहीं रखी जाए और केंद्रीय मानव संसाधन तथा वन पर्यावरण मंत्रालय से

■ मुख्य सचिव
ने ली बैठक

सतत संपर्क रखकर काम का सिलसिला तेज रखा जाए। आईआईटी इंदौर को कुल 502.84 एकड़ जमीन दी गई है।

प्रदेश पर लग रहे थे आरोप

बीते दिनों आईआईटी के लिए सिमरोल में आवंटित जमीन का भू उपयोग बदलने का प्रस्ताव केंद्र ने लौटा दिया था। वनभूमि का हिस्सा होने के कारण पर्यावरण मंत्रालय ने भू उपयोग बदलने पर आपत्ति ली थी। इसके बाद आईआईटी इंदौर के निदेशक डॉ. प्रदीप माथुर ने प्रदेश शासन पर असहयोग का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश शासन ने मामले में ढिलाई बरती और उनसे सलाह किए बगैर प्रस्ताव बनाकर भेज दिया। -ब्यूरो